



01/31.5.91

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 15, 1990/अग्रहायण 24, 1912
No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 15, 1990/AGRAHAYANA 24, 1912

इस भाग में बिना पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खंड 3—उपखंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए गए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिक्षा और पेशेवर संशोधन

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1990

सा.का.नि. 744:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् मूल नियमों में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बताते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मूल (संशोधन) नियम, 1990 है।

(2) ये 30 अगस्त, 1989 से प्रवृत्त समझे जाएंगे।

2. मूल नियमों के नियम 22 के पैरा (1) के खंड (क) के उपखंड (3) के परन्तुक के पैरा (1) में "नियमित

आधार पर" शब्दों का लोप किया जाएगा और "धारण किया है" शब्दों के स्थान पर "अधिष्ठायी रूप से धारण किया है या उस पर स्थापनाएँ रूप में कार्य किया है," शब्द 30 अगस्त, 1989 से रखे गए समझे जाएंगे।

[संख्या 1/10/89-स्था. (वैतन-1)]

टी.ओ. थामस, अवर सचिव

टिप्पणी:—

इन मुख्य नियमों को पहले ही निम्न प्रकार संशोधित कर दिया गया था:—

- वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं. 2(क)-ई. III'61, दिनांक 1-2-1963.
- वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं. 1(1)-ई. III(क) 65 दिनांक 20-2-65.
- वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं. 1(25)-ई. III(क) 64 दिनांक 30-11-65.

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बीमा प्रभाग)

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1990

ग.का.नि. 715 — जीवन बीमा अधिनियम, 1956 (1956 का 51) का धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (एजेंट) नियम, 1972 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) (i) इन नियमों को भारतीय जीवन बीमा निगम (एजेंट) द्वितीय संशोधन नियम, 1990 कहा जाए।
- (ii) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(2) भारतीय जीवन बीमा निगम (एजेंट) नियम, 1972 की अनुसूची छ. के पैरा 2 के उप-पैरा (3) में शब्द और संख्या "30,000/- रुपये" के स्थान पर शब्द और संख्या "50,000/- रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा.सं. 81(3)/बीमा-II-90]

जी.सी. बासुमतारी, उप सचिव, (बीमा)

संदर्भ: मुख्य नियम दिनांक एक मई 1972 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डेव/ए जी/आर ईजी/एन/जी प्रो वो II/डी जेड एम के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे जिनमें बाद में दिनांक एक दिसम्बर, 1976 को अधिसूचना संख्या 81(4)/इसरो-II/75, एक दिसम्बर, 1978 का अधिसूचना संख्या प्रकाशित किए गए थे जिनमें बाद में दिनांक एक दिसम्बर, 1976 को अधिसूचना संख्या 81(4)/इसरो-II/75, एक दिसम्बर, 1978 का अधिसूचना संख्या 81(12)/इसरो-II/78, दिनांक 29 मई, 1982 के सा.का.नि. संख्या 487, 29 मार्च, 1986 के सा.का.नि. संख्या 228, दिनांक 11 अप्रैल, 1987 के सा.का.नि. संख्या 251 और दिनांक 13 अक्टूबर, 1989 के सा.का.नि. संख्या 811 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Insurance Division)

New Delhi, the 15th December, 1990

2. In the Life Insurance Corporation of India (Agents) Rules, 1972, in Schedule VI, in sub-para (3) of para 2, for the letters and figures "Rs. 30,000", the letters and figures "Rs. 50,000" shall be substituted

[F. No. 81(3)/Ins. II/90]

G. C. BASUMATARI, Dy. Secy. (Insurance)

G.S.R. 745.—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India (Agents) Rules, 1972, namely:—

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India (Agents) Second Amendment Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

NOTE.—The principal Rules were published under Notification No. Dev/Ag/Regn./Gov. IV/DZM in the Gazette of India dated 1st May, 1972 subsequently amended by Notification Nos. 81(4)/Ins. II/75 dated 1st September, 1976, No. 81(12)/Ins. II/78 dated 1st September, 1978, G.S.R. No. 487 dated 29th May, 1982; G.S.R. No. 228 dated 29th March, 1986; G.S.R. No. 251 dated 11th April, 1987; and G.S.R. No. 811 dated 13th October, 1989.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1990

ग.का.नि. 746:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1990 है।
- (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1962 की अनुसूची में, ज्येष्ठ अन्वेषक 1 अनुसंधान सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात्:—

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	संख्या में जोड़े हुए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
26. ज्येष्ठ अन्वेषक 1	48	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख"	1640-60-2600	चयन	नहीं।	30 वर्ष से अधिक नहीं।
अनुसंधान सहायक	49*	अराज्यपन्नित अतन्त्र सचिबीय	द.रो.-75-2900 रु.			(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनु-दलों के अनुसार भर-

1	2	3	4	5	6	7	
26.	ज्येष्ठ अन्वेषक 1	48	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख"	1640-60-2600	चयन	नहीं।	30 वर्ष से अधिक नहीं।
	अनुसंधान सहायक	49*	अराज्यपन्नित अतन्त्र सचिबीय	द.रो.-75-2900 रु.			(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनु-दलों के अनुसार भर-

2

(1990)
*कार्यभार
के आधार
पर परिदत्त
किया जा
सकता है।

7

कारी सेवाओं के लिए
5 वर्ष तक शिक्षित
की जा सकती है)।
टिप्पणी:—आयु-सीमा अव-
धारित करने के लिए
निर्धारित तारीख भारत
में अभ्यर्थियों में आवे-
दन प्राप्त करने के
लिए नियत की अन्तिम
तारीख होगी (न कि
वह अन्तिम तारीख जो
असम, मेघालय, अरुणा-
चल प्रदेश, गिजोरम,
गंगपुर, नागालैण्ड
त्रिपुरा, मिक्किम, जम्मू-
कश्मीर राज्य के लद्दाख
खंड, हिमाचल प्रदेश
के लाहौल और स्पीति
जिले तथा चम्बा जिले
के पला उपखंड, अंद-
मान और निकोबार
द्वीप या लक्षद्वीप के
अभ्यर्थियों के लिए
बिहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक
और अन्य अर्हताएं।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों परीक्षा की अपेक्षा, यदि कोई हो।
के लिए विहित आयु और शैक्षिक
अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा
में लागू होंगी या नहीं।

8

आवश्यक:

- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से साहित्यिकी (अर्थ-
शास्त्र) समाजशास्त्र (सामाजिक कार्य) समाज
कल्याण/ मनोविज्ञान/सामाजिक नृविज्ञान/सांस्कृतिक
नृविज्ञान में मास्टर डिग्री अथवा समतुल्य।
- (ii) सामाजिक आंकड़ों के संग्रहण और विश्लेषण का
जिसके अन्तर्गत जनमत संग्रह या समाज सेवा
अनुसंधान या जन संपर्क अनुसंधान है, दो वर्ष
का अनुभव।

टिप्पणी:— 1. अर्हताएं अन्यथा सुअहित अभ्यर्थियों की
दशा में संघ लोक सेवा आयोग के
विवेकानुसार शिक्षित की जा सकती हैं।
2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) जब
लोक सेवा आयोग/राक्षम प्राधिकारी के
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और
अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की
दशा में तब शिक्षित की जा सकती है
जब चयन के किसी प्रश्न पर संघ

9

नहीं।

10

केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले
व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

8

लोक सेवा आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

10

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।

11

12

- (i) 40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।
(ii) 60 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।

टिप्पण.—1640—2900 रुपये के वेतनमान में ऐसे अनुसंधान सहायक, जो भारतीय अन्तरिक्ष में अनुसंधान संगठन में नियमित आधार पर पदों पर नियुक्त किए गए थे और जिनका उत्तरदायित्व दूरदर्शन द्वारा उनके कार्य के साथ लिया गया था, इन नियमों के अधीन प्रारम्भिक गठन पर नियुक्त किए गए समझे जाएंगे।

प्रोन्नति :

आकाशवाणी / दूरदर्शन में ऐसे अन्वेषक/राष्ट्रियकी सहायक नियुक्ति अपनी-अपनी श्रेणियों में नियमित आधार पर उनमें नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण:—प्रोन्नति के लिए पात्रता सूचा अधिकारियों द्वारा अपनी-अपनी श्रेणियों में पद पर विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के प्रति निदेश से तैयार की जाएगी।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :

केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारियों :

(क) (i) जो नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने 1400--2300/2600 रुपए के या समतुल्य में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (फीडर प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नतिकी सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्त किए गए व्यक्ति प्रोन्नत द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उर्मी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काष्ठर वास्तव पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, माधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग में परामर्श किया जायगा

13

14

1. उप महानिदेशक आकाशवाणी (1) --- अध्यक्ष
2. उप महानिदेशक (प्रशासन) आकाशवाणी --- सदस्य
3. निदेशक, श्रोता अनुसंधान, आकाशवाणी --- सदस्य

टिप्पण:—पुर्णित से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियाँ, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर ल होगी।

सीधे भर्ती करने समय और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए किसी अधिकारी का चयन करने समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

टिप्पणः—जी.एस.आर. संख्या 347, दिनांक 17-3-1962 के तहत मूल नियमावली, में प्रकाशित भारत के राजपत्र 1962 (असाधारण) भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (1) में निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए हैं :-

1. अधिसूचना संख्या 5(9)/58-बी(ए), दिनांक 4-5-62
जी.एस.आर. संख्या 721 दिनांक 25-5-62.
2. —तथैव— संख्या 11(6)/62-बी(ए), दिनांक 18-10-62.
जी.एस.आर. संख्या 1412 दिनांक 27-10-62.
3. —तथैव— संख्या 5(89)/58-बी(ए), दिनांक 20-11-62.
जी.एस.आर. संख्या 1627 दिनांक 1-12-62.
4. —तथैव— संख्या 9/7/62-बी(ए), दिनांक 8-1-63.
जी.एस.आर. संख्या 123 दिनांक 8-1-63.
5. —तथैव— संख्या 13/55/61-बी(ए), दिनांक 8-7-63.
जी.एस.आर. संख्या 1225 दिनांक 20-7-63.
6. —तथैव— संख्या 5/13/62-बी(ए), दिनांक 10-8-63.
जी.एस.आर. संख्या 1319 दिनांक 10-8-63.
7. —तथैव— संख्या 11/2/61-बी(ए), दिनांक 31-8-64.
जी.एस.आर. संख्या 1310 दिनांक 12-9-64.
8. —तथैव— संख्या 11/3/63-बी(ए), दिनांक 15-10-64.
जी.एस.आर. संख्या 1564 दिनांक 31-10-64.
9. —तथैव— संख्या 11/6/64-बी(ए), दिनांक 28-4-65.
जी.एस.आर. संख्या 705 दिनांक 8-5-65.
10. —तथैव— संख्या 5/45/65-बी(ए), दिनांक नवम्बर, 1965.
11. —तथैव— संख्या 11/4/65-बी(ए), दिनांक 31-12-65.
जी.एस.आर. संख्या 58 दिनांक 8-1-66.
12. —तथैव— संख्या 11/3/65-बी(ए), दिनांक 1-11-66.
जी.एस.आर. संख्या 1782 दिनांक 26-11-66.
13. —तथैव— संख्या 11/4/65-बी(ए), दिनांक 24-12-66.
जी.एस.आर. संख्या 1973 दिनांक 29-12-66.
14. —तथैव— 7/1/67-बी(ए), दिनांक दिसम्बर, 1967.
15. —तथैव— संख्या 20/6/67-बी(ए), दिनांक 23-3-68.
जी.एस.आर. संख्या 541 दिनांक 23-3-68.
16. —तथैव— संख्या 7/1/67-बी(ए)-बी(ए), दिनांक 30-4-68.
जी.एस.आर. संख्या 910 दिनांक 30-4-68.
17. —तथैव— संख्या 20/6/67-बी(ए), दिनांक 17-7-69.
जी.एस.आर. संख्या 1761 तथा 1821.
18. —तथैव— संख्या 7/12/68-बी(ए), दिनांक 19-7-69.
जी.एस.आर. संख्या 1682.
19. —तथैव— संख्या 17/9/68-बी(ए), दिनांक 6-1-70.
जी.एस.आर. संख्या 173 दिनांक 31-1-70.
20. —तथैव— संख्या 17/7/69-बी(ए), दिनांक 21-1-70.
जी.एस.आर. संख्या 204 दिनांक 7-2-70.
21. —तथैव— संख्या 17/8/69-बी(ए), दिनांक 2-4-70
जी.एस.आर. संख्या 723 दिनांक 2-5-70.

22. ---तथैव--- 7/2/68-बी(ए), दिनांक 24-4-70.
जी.एस.आर. संख्या 1161 दिनांक 15-8-70
23. ---तथैव--- संख्या 1/4/70-बी(ए), दिनांक 25-8-70.
24. ---तथैव--- संख्या 11/9/69-बी(ए), दिनांक 21-3-72.
जी.एस.आर. संख्या 367 दिनांक 2-3-72.
25. ---तथैव--- संख्या 1/9/78-बी(ए), दिनांक 8-7-72.
26. ---तथैव--- संख्या 1/7/71-बी(ए), दिनांक 13-2-73.
जी.एस.आर. संख्या 228 दिनांक 3-3-73.
27. ---तथैव--- संख्या 1/9/72-बी(ए), दिनांक 10-4-73.
जी.एस.आर. संख्या 476 दिनांक 5-5-73.
28. ---तथैव--- संख्या 1/15/73-बी(ए), दिनांक 16-2-74.
जी.एस.आर. संख्या 256 दिनांक 9-3-74.
29. ---तथैव--- संख्या 1/12/73-बी(ए), दिनांक 4-4-75.
30. ---तथैव--- संख्या 1/12/73-बी(ए), दिनांक 24-6-75.
जी.एस.आर. संख्या 894 दिनांक 19-7-75.
31. ---तथैव--- संख्या 17/9/69-बी(ए), दिनांक 11-6-75.
जी.एस.आर. संख्या 801 दिनांक 28-6-75.
32. ---तथैव--- संख्या 1/15-बी(ए), दिनांक 15-4-76.
जी.एस.आर. संख्या 677 दिनांक 15-5-76.
33. ---तथैव--- संख्या 1/12/73-बी(ए), दिनांक 4-11-76
जी.एस.आर. संख्या 1671 दिनांक 2 दिनांक 27-11-76.
34. ---तथैव--- संख्या 12019/9/78-बी(ए), दिनांक 26-12-78.
जी.एस.आर. संख्या 95 दिनांक 20-1-79.
35. ---तथैव--- संख्या 12018/4/77-बी(ए), दिनांक 4-9-80.
जी.एस.आर. संख्या 1118 दिनांक 25-10-80.
36. ---तथैव--- संख्या 12019/9/78-बी(ए), दिनांक 26-12-80.
जी.एस.आर. संख्या 44 दिनांक 10-1-81.
37. ---तथैव--- संख्या 12019/1/80-बी(ए), दिनांक 20-10-81.
जी.एस.आर. संख्या 1002 दिनांक 7-11-81.
38. ---तथैव--- जी.एस.आर. सं 12018/4/77-बी(ए) दिनांक 15-1-82
39. ---तथैव--- सं. 45011/83/82-बी. (ए) दिनांक 23-10-84
जी.एस.आर. संख्या 740 (ई.जी.)
40. ---तथैव--- संख्या 12019/6/83-बी(ए), दिनांक 28-6-85.
41. ---तथैव--- संख्या 45011/83/82-बी(ए)-खण्ड-4(2) दिनांक 8-5-87.
42. ---तथैव--- संख्या 1/19/86-एस-2/आकाशवाणी/बी(ए), दिनांक 25-10-87.
43. ---तथैव--- 8/45/87-एस. 2/आकाशवाणी/बी(ए), दिनांक 4-4-88.
44. ---तथैव--- संख्या 7/6/87-आकाशवाणी (बी(ए)), दिनांक 12-4-88.
45. ---तथैव--- संख्या 14/18/86-एस. 2/बी(ए), दिनांक 25-5-88.
46. ---तथैव--- संख्या 12019/2/87-बी(ए), दिनांक 26-5-88.
47. ---तथैव--- संख्या 7/5/87-एस. आर. /बी(ए), दिनांक 13-6-88.
48. ---तथैव--- संख्या 8/48/87-एस. 2/एस. आई. (बी)बी(ए), दिनांक 31-5-88.
49. ---तथैव--- संख्या 12019/5/90-बी(ए), दिनांक 15-10-90.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 26th November, 1990

G.S.R. 746.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1962, for serial number 26 relating to the post of Senior Investigator/Research Assistant and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Revised Recruitment Rules for the post of Senior Investigator/Research Assistant in All India Radio/Doordarshan in Ministry of Information and Broadcasting

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or non-Selection Post	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
26. Senior Investigator	42	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900.	Selection	No
Research Assistant	7				
	49* (1990)				
	*Subject to variation dependent on workload.				
Age limit for direct recruits		Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	
	7		8		9
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).		Essential (i) Master's degree in Statistics/Economics/Sociology/Social Work/Social Welfare/Psychology/Social Anthropology/Cultural Anthropology from a recognised university or equivalent. (ii) 2 years experience of collection and analysis of social statistics		No	
Note : The Crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the					

7	8	9
<p>closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).</p>	<p>including public opinion polls or social service research or mass communication research. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	
Period of probation, if any	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made
10	11	12
<p>2 years for direct recruits only.</p>	<p>(i) 40% by promotion failing which by transfer on deputation. (ii) 60% by direct recruitment failing which by transfer on deputation. Note : Research Assistants in the scale of Rs. 1640-2900 who had been appointed to the posts on regular basis in the Indian Space Research Organisation and were taken over by the Doordarshan alongwith the work shall be deemed to have been appointed at the initial constitution under these rules.</p>	<p>Promotion : Investigators/Statistical Assistants in All India Radio/Doordarshan with 5 years regular service in the respective grades rendered after appointment there to on a regular basis. Note : The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade/post. Transfer on deputation : Officers under the Central/State Governments: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 1400-2300/2600 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8:</p>

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).	<p>Group 'B' DPC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deputy Director General (Inspection), All India Radio —Chairman 2. Deputy Director General (Administration), All India Radio —Member 3. Director Audience Research, All India Radio —Member <p>“Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.”</p>	Consultation with the Commission necessary while making direct recruitment and selecting an officer for appointment on deputation.

Note : *Principal rules published vide GSR No. 347, dated 17-3-1962 Gazette of India 1962 (Extraordinary) Part II Section 3 Sub Section (1) subsequently the following amendments were notified : —

1. Notification No. 5(9)/58-B(A), dated 4-5-62
„ GSR No. 721 dated 25-5-62
2. „ No. 11(6)/62—B(A), dated 18-10-62
GSR No. 1412 dated 27-10-62
3. „ No. 5(89)/58-B(A), dated 20-11-62
GSR No. 1627 dated 1-12-62
4. „ No. 9/7/62-B(A), dated 8-1-63
GSR No. 123 dated 8-1-63
5. „ No. 13/55/61-B(A), dated 8-7-63
GSR No. 1225 dated 20-7-63
6. „ No. 5/43/62-B(A), dated 5-8-63
GSR No. 1319 dated 10-8-63
7. „ No. 11/2/61-B(A), dated 31-8-62
GSR No. 1310 dated 12-9-64
8. „ No. 11/3/63-B(A), dated 31-10-64
GSR No. 1564 dated 15-10-64
9. „ No. 11/6/64-B(A), dated 28-4-65
GSR No. 705 dated 8-5-65
10. „ No. 5/45/65-B(A), dated November, 1965
11. „ No. 11/4/65-B(A), dated 31-12-65
GSR No. 58 dated 8-1-66

12. Notification No. 11/3/65-B(A), dated 1-11-66
GSR No. 1782 dated 26-11-66
13. „ No. 11/4/65-B(A), dated 24-12-66
GSR No. 1973 dated 29-12-66
14. „ No. 7/1/67-B(A), dated December, 1967
15. „ No. 20/6/67-B(A), dated 23-3-68
GSR No. 541 dated 23-3-68
16. „ No. 7/1/67-B(A), dated 30-4-68
GSR No. 910 dated 30-4-68
17. „ No. 20/6/67-B(A), dated 17-7-69
GSR No. 1761 and 1821
18. „ No. 7/12/68-B(A), dated 19-7-69
GSR No. 1682
19. „ No. 17/9/68-B(A), dated 61-1-70
GSR No. 173 dated 31-1-70
20. „ No. 17/7/69-B(A), dated 21-1-70
GSR No. 204 dated 7-2-70
21. „ No. 17/8/69-B(A), dated 2-4-70
GSR No. 723 dated 2-5-70
22. „ No. 7/2/68-B(A), dated 24-4-70
GSR No. 1161 dated 15-8-70
23. „ No. 1/4/70-B(A), dated 25-8-70
24. „ No. 11/9/69-B(A), dated 21-2-72
GSR No. 367 dated 2-3-72
25. „ No. 1/9/78-B(A), dated 8-7-72
26. „ No. 1/7/71-B(A), dated 13-2-73
GSR No. 228 dated 3-3-73
27. „ No. 1/9/72-B(A), dated 10-4-73
GSR No. 476 dated 5-5-73
28. „ No. 1/15/73-B(A), dated 16-2-74
GSR No. 256 dated 9-3-74
29. „ No. 1/12/73-B(A), dated 4-4-75
30. „ No. 1/12/73-B(A), dated 24-6-75
GSR No. 894 dated 19-7-75
31. „ No. 17/9/69-B(A), dated 11-6-75
GSR No. 801 dated 28-6-75
32. „ No. 1/15/75-B(A), dated 15-4-76
GSR No. 677 dated 15-5-76
33. „ No. 1/12/73-B(A), dated 4-11-76
GSR No. 1671 dated 27-11-76
34. „ No. 12019/9/78-B(A), dated 26-12-78
GSR No. 95 dated 20-1-79
35. „ No. 12018/4/77-B(A), dated 4-9-80
GSR No. 1118 dated 25-10-80
36. „ No. 12019/9/78-B(A), dated 26-12-78
GSR No. 44 dated 10-1-81
37. „ No. 12019/1/80-B(A), dated 7-11-81
GSR No. 1002 dated 7-11-81

38. Notification No. 12018/4/77-B(A), dated 15-1-82
GSR No. 137 dated 6-2-82
39. „ No. 45011/83/82-B(A), dated 23-10-84
GSR No. 740 (EJ)
40. „ No. 12019/6/83-B(A), dated 28-6-85
41. „ No. 45011/83/82-B(A)—Vol. IV(II) dt. 8-5-87
42. „ No. 1/9/86-SII/AIR/B(A), dated, 25-10-87
43. „ No. 8/45/87-S.II/AIR/B(A), dated 4-4-88
44. „ No. 7/6/87-AR/B(A), dated 12-4-88
45. „ No. 14/18/86-S. II/B(A), dated 25-5-88
46. „ No. 12019/2/87-B(A), dated 26-5-88
47. „ No. 7/5/87-AR/B(A), dated 13-6-88
48. „ No. 12019/4/89-B(A), dated 7-8-90

[No. 12019/1/88-B(A)]

KASHMIRI LAL, Under Secy.

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1990

सा.का.नि. 747.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1902 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, (समूह "क" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. इलेक्ट्रॉनिकी विभाग (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1982 की अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"जब ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपेक्षित सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है तब उनसे ज्येष्ठ ऐसे व्यक्तियों के संबंध में भी, जिन्होंने परीक्षा अर्वाधि पूरी कर ली है, विचार किया जा सकेगा।"

[सं. 1(7) 89-पी पी]

टिप्पण :—मूल भर्ती नियम अधिसूचना सं. ए-12018/6/81-पी पी तारीख 26-5-1982 के अधीन सा.का.नि. सं. 573 तारीख 26-6-1982 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और उनका बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया था :—

1. सा.का.नि. सं. 407 तारीख 21-4-1984
2. सा.का.नि. सं. 11 तारीख 04-01-1986
3. सा.का.नि. सं. 541 तारीख 19-07-1986
4. सा.का.नि. सं. 224 तारीख 14-04-1990

DEPARTMENT OF ELECTRONICS

New Delhi, the 19th November, 1990

G.S.R. 747.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Electronics (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Electronics (Group 'A' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. After the Schedule to the Department of Electronics (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1982, the following note shall be inserted namely :—

"The seniors who have completed the probation may also be considered for promotion when their juniors who have completed the requisite service are being considered."

[No 1(7)/89-PP]

NOTE.—The principal recruitment rules published vide Notification No. A-12018/6/81-PP dated 26-5-82 published in the Gazette of India vide G.S.R. No. 573 dated 26-6-82 have subsequently been amended vide :—

- (i) G.S.R. No. 407, dated 21-4-1984.
- (ii) G.S.R. No. 11, dated 04-01-1986.
- (iii) G.S.R. No. 541, dated 19-07-1986.
- (iv) G.S.R. No. 224, dated 14-04-1990.

सा.का.नि. 748.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग (समूह "ख" और समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1977 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी विभाग (समूह "ख" और समूह "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1990 है।